न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 52/2020 वाद

कुन्दन सिंह पिता महेन्द्र सिंह राजपुत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेडी, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. महेन्द्र सिंह पिता नवलसिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. लाखन सिंह पिता महेन्द्र सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. टिना कुंवर पुत्री महेन्द्र सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेडी, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

श्री जगदीश चन्द्र मेनारिया, अधिवक्ता वादी उपस्थित

श्री योगेन्द्र सोलंकी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित

निर्णय

दिनांक 13.07.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की पुश्तैनी आराजीयात वाके मौजा कचरियाखेडी की खाता संख्या 242 की आराजी नं. 28, 41, 129, 171, 173, 384, 388, 389 कुल किता 8 कुल रकबा 6.4900 हैक्टेयर, खाता संख्या 243 की आराजी नं. 29, 30, 377, 880/162 कुल किता 4 कुल रकबा 3.6100 हैक्टेयर भूमि स्थित है। पक्षकारान का सजरा इस प्रकार है–

महेन्द्र सिंह

कुन्दन सिंह | लाखन सिंह | टिना कुंवर

इस प्रकार महेन्द्र सिंह के दो पुत्र कुन्दन सिंह और लाखन सिंह तथा 1 पुत्री टिना कुंवर है। इस प्रकार नवलसिंह के जमाने से चली आ रही आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक हिस्सा निहित है और इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इसी अनुसार प्रतिवादीगण को बंटवारा करा खातेदारी में दर्ज कराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:23:54 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये इसलिए मजबुरन वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि में वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाकर अलग अलग खातेदारी में दर्ज फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा राजीनामा प्रस्तुत कर वादी के दावे को स्वीकार किया और राजीनामें अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया। राजीनामें अनुसार विवादित भूमि को पुश्तैनी स्वीकार करते हुए वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक हिस्सा होना स्वीकार किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजीनामें के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2055-58 ग्राम कचरियाखेडी की खाता संख्या 77, मिलान क्षेत्रफल ग्राम कचरियाखेडी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है जबकि वादी ने अपने दावे के साथ ग्राम कचरियाखेडी की नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम कचरियाखेड़ी की खाता संख्या 242, 243 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। वर्तमान में प्रश्नगत आराजीयात महेन्द्र सिंह पिता नवल सिंह राजपूत के नाम दर्ज रेकार्ड है। राजीनामें के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी अनुसार विवादित भूमि पूर्व में नवलसिंह पिता जोरावर सिंह राजपूत के नाम दर्ज रेकार्ड थी। इस प्रकार विवादित भूमि पुश्तैनी होना साबित होती है। पक्षकारान के मध्यम कोई विवाद भी नहीं रहा है तथा राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामें अनुसार वाद का निस्तारण करने का निवेदन किया है जो स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा कचरियाखेडी की खाता संख्या 242 की आराजी नं. 28, 41, 129, 171, 173, 384, 388, 389 कुल किता 8 कुल रकबा 6.4900 हैक्टेयर, खाता संख्या 243 की आराजी नं. 29, 30, 377, 880/162 कुल किता 4 कुल रकबा 3.6100 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित के हिस्से पर बदस्तुर रहेगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 13.07.202[illegible] को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:23:54 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 52/2020 वाद

कुन्दन सिंह पिता महेन्द्र सिंह राजपुत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेडी, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. महेन्द्र सिंह पिता नवलसिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. लाखन सिंह पिता महेन्द्र सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. टिना कुंवर पुत्री महेन्द्र सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेडी, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली में आज दिनांक को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सोलंकी की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा कचरियाखेडी की खाता संख्या 242 की आराजी नं. 28, 41, 129, 171, 173, 384, 388, 389 कुल किता 8 कुल रकबा 6.4900 हैक्टेयर, खाता संख्या 243 की आराजी नं. 29, 30, 377, 880/162 कुल किता 4 कुल रकबा 3.6100 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित के हिस्से पर बदस्तुर रहेगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:23:54 IST
Reason: SelfAttested

यह आज तारीख 13.07.202[illegible] को [illegible]रे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा